न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द (राजस्थान)

प्रकरण सख्या – 138/2025 (प्रार्थना पत्र)
दायर दिनांक – 24/11/2025
निर्णय दिनांक – 24/11/2025

अनवान

1. हुक्मालाल पिता गोरधनलाल निवासी आंजना तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार देवगढ़ जिला राजसमन्द।
अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

: : निर्णय : :

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का पेश किया जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है कि राजस्व ग्राम आंजना पटवार मण्डल आंजना के खाता संख्या 79 में सहखातेदारी भूमि स्थित है। उक्त खातें में प्रार्थी का नाम हुक्मीचंद पुत्र गोरधन माली दर्ज है जिसके स्थान पर प्रार्थी हुक्मालाल पिता गोरधनलाल शुद्धि कराए जाने बाबत् निवेदन किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर जांच हेतु तहसीलदार, देवगढ़ को अग्रेषित किया गया। तहसीलदार, देवगढ़ की जांच रिपोर्ट अनुसार ग्राम आंजना के खाता संख्या 79 में हुक्मीचन्द पुत्र गोरधन माली दर्ज रिकॉर्ड है परन्तु प्रार्थी के आधार कार्ड, राशनकार्ड, परिचय पत्र अनुसार प्रार्थी का नाम हुक्मालाल पुत्र गोरधनलाल दर्ज है। अतः ग्राम आंजना के खाता संख्या 79 में हुक्मीचन्द पुत्र गोरधन माली के बजाय हुक्मालाल पुत्र गोरधनलाल दर्ज किया जाने की अनुशंषा की गई।

–::आदेश::–

अतः धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग करते हुए ग्राम आंजना के खाता संख्या 79 में हुक्मीचन्द पुत्र गोरधन माली के स्थान पर हुक्मीचन्द उर्फ हुक्मालाल पुत्र गोरधनलाल नाम दुरस्ती किए जाने की स्वीकृति दी जाती है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावें। यदि कोई न्यायालय स्थगन या राजकीय हित प्रभावित होता है तो निर्णय की पालना में विशेष ध्यान रखा जावे। यदि रहन का अंकन है तो तदनुसार अंकित रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 24/11/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(मोहकमसिंह सिनसिनवार R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी देवगढ़
जिला राजसमन्द